रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2002/आषाढ़ 31, 1924

No. 148] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2002/ASADHA 31, 1924

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 9/1/03

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2002

सं. एन.-10/19/2001-पी.पी.सी.— प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [आकाशवाणी समाचार वाचक सह अनुवादक पद] सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :- ये विनियम इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. प्रारंभिक संघटन:- इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय नियमित आधार पर समाचार वाचक सह अनुवादक ग्रेड- I, समाचार वाचक सह अनुवादक ग्रेड- II एवं समाचार वाचक सह अनुवादक ग्रेड- III के पद पर कार्यरत सभी व्यक्ति इन विनियमों के तहत उस पद पर नियुक्त माने जाएंगे। इन विनियमों के लागू होने से पहले उनके द्वारा की गई सेवा अवधि को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

4. पद संख्या और वेतनमान - उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होगें, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं आदि -

उपर्युक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले वे होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम 3 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. अनर्हता -वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. शिथिल करने की शक्ति -जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

8. व्यावृत्ति :-इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

IndiaCode

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. समाचार वाचक सह-अनुवादक ग्रेड-III	* 158 [2002] *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	6500 - 200 10500/- रूपए	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पणी: सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो	<u>अनिवार्य</u>:- [1] किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष [2] अंग्रेजी और हिन्दी की स्क्रिप्ट की समाचार मदों का रिक्ति से संबंधित भारतीय भाषा में अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी:- संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से किसी भी भाषा हेतु सीधे भर्ती की जाएगी। भाषा की सही जानकारी प्रत्येक रिक्ति के समय दी जाएगी। वांछनीय:- [1] हिन्दी, अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा में प्रवीणता [जिस अभ्यर्थी ने भाषा का मैट्रिक स्तर तक माध्यम के रूप में या डिग्री स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	<u>विभागीय पदोन्नति समिति</u> [1] महानिदेशक [समाचार] समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी- अध्यक्ष [2] उप महानिदेशक [प्रशा0] आकाशवाणी महानिदेशालय - सदस्य [3] रिक्ति से संबंधित भाषा का एक भाषा

				उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिले का पांगी उपमंडल अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	अध्ययन किया है उसे उस भाषा में प्रवीण माना जाएगा] [2] रेडियो पत्रिकाओं या पुस्तकों के लिए लेखन का अनुभव या समाचार पत्रों/ समाचार एजेंसी/समाचार संगठनों में कार्य करने का अनुभव । [3] समसामयिक राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मामलों, घटनाओं और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी । टिप्पणी:- । चयन हेतु छांटे गए सभी [शार्टलिस्ट किए गए] अभ्यर्थियों को आकाशवाणी द्वारा ली जाने वाली स्वर परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । टिप्पणी: 2 अन्यथा सुअर्हता-प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अर्हताओं में ढील दी जा सकती है । टिप्पणी: 3 यदि चयन प्रक्रिया के किसी प्रक्रम पर भर्ती बोर्ड का यह मत हो कि इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता [ओं]में ढील दी जा सकती है ।					विशेषज्ञ जिसे सदस्य [कार्मिक]/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती द्वारा नामित किया जाएगा- सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.समाचार वाचक सह-अनुवादक [ग्रेड-II]	* 60 [2002] *कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	10,000 - 325 15200/- रूपए	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले समाचार वाचक सह अनुवादक ग्रेड-III में से।	[1]. सदस्य [कार्मिक] प्रसार भारती बोर्ड- अध्यक्ष [2] महानिदेशक [समाचार] समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी- सदस्य [3] आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा नामित अधिकारी जिसका स्तर उप महानिदेशक से कम का न हो - सदस्य [4] उप महानिदेशक [प्रशा0] आकाशवाणी महानिदेशालय- सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. समाचार वाचक सह-अनुवादक [ग्रेड-I]	* 20 [2002] कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	12,000 - 375 16,500/- रूपए	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले समाचार वाचक सह अनुवादक ग्रेड-II में से	[1] सदस्य [कार्मिक] प्रसार भारती बोर्ड- अध्यक्ष [2] महानिदेशक [समाचार] समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी- सदस्य [3] आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा नामित अधिकारी जिसका स्तर उप महानिदेशक से कम का न हो - सदस्य [4] उप महानिदेशक [प्रशा0] आकाशवाणी महानिदेशालय- सदस्य

के. एस. शर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/163/02]

IndiaCode

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2002

No. N-10/19/2001-PPC.— In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Akashvani News Reader-cum-Translator posts) Service Regulations, 2002.

IndiaCode

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These regulations shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Initial Constitution :** All persons appointed on or before the commencement of these regulations holding the posts of News Reader-cum-Translator Grade-I, News Reader-cum Translator Grade-II and News Reader-cum-Translator Grade-III on regular basis shall be deemed to have been appointed under these regulations to the corresponding posts. The service rendered by them before the commencement of these regulations shall be taken into account for promotion to the next higher grade

4. **Number of posts and scales of pay.** - The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the Schedule aforesaid.

5. **Method of recruitment, age limit, educational and other qualifications etc** - The method of recruitment, age limit, educational and other qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 3 to 11 of the Schedule aforesaid.

6. **Disqualification . -** No person-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts .

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. **Power to relax.** - Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts

8. **Savings.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by Government from time to time.

IndiaCode

23(07)/02-L

Schedule

Name of post	Number of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ deputation / absorption to be made	If **Departmental Promotion Committee** exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. News reader-cum-Translator Grade III	158* (2002) *subject to variation dependent on workload	Rs. 6500-200-10500/-	Not Applicable	Not exceeding 30 years. Note 1 Relaxable for Government Servants upto five years. Note 2 The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya,	Essential: (i) Degree from a recognised University or equivalent; (ii) Three years experience of translating the news items from English and Hindi edited scripts to the concerned Indian language relevant to the vacancy. NOTE: Direct recruitment shall be made to any of the Indian languages in Eighth Schedule	Not Applicable	Two years	Direct recruitment.	Not Applicable	Departmental Promotion Committee 1. Director General (News), News Services Division, Akashvani - Chairman 2. Deputy Director General (Administration) Directorate General, Akashvani - Member 3. One language expert relevant to the vacancy to be nominated by Member (Personnel)/CEO, Prasar Bharati - Member

IndiaCode

				Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	to the Constitution. Exact language requirement shall be indicated at the time of each requirement. Desirable: (i) Proficiency in any other Indian language besides Hindi, English and the concerned Indian language (a candidate who studied a language as a medium upto matriculation level or studied that language as an elective subject at degree level shall be considered proficient in that language). (ii) Experience of writing for radio periodicals or books, or experience of work in News Papers/News agency/News					

IndiaCode

					Organisations. (iii) Knowledge of current national/ international affairs, events and personalities. NOTE 1: All the candidates short-listed for appointment shall be required to qualify an audition test to be conducted by Akashvani. NOTE 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Recruitment Board in case of candidates otherwise well qualified. NOTE 3: The qualification(s) regarding experiences is/are relaxable at the discretion of the Recruitment Board, in the case of candidates belonging to Schedule Castes					

IndiaCode

					or Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Recruitment Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.					

IndiaCode

Name of the post	No of post	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any	Method of recruitment.	Grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2. Newsreader cum-Translator (Grade –II)	60* (2002) *subject to variation dependent on workload	Rs.10000-325-15200	Selection by merit.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Two years	Promotion	**Promotion:** Promotion from amongst Newsreader-cum-Translator Grade-III with eight years regular service in the grade	1. Member (Personnel), Prasar Bharati Board Chairman 2. Director General (News), News Services Division Akashvani – Member 3. A nominee of Director General, Akashvani not below the rank of Deputy Director General - Member 4. Deputy Director General (Administration), Director General: Akashvani - Member

IndiaCode

Name of the post	No of post	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment,	Grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotio Committee exists. what is it composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)
3. Newsreader cum-Translator (Grade –1)	20 * (2002) * Subject to variation dependent on workload	Rs.12000-375-16500	Selection by merit.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion	Promotion From amongst Newsreader-cum-Translator Grade-II with five years regular service in the grade.	1 Member (Personnel), Pr Bharati Board -Chairr 2. Director General (News) News Services Division Akashvani – Member 3. A nominee of Director General, Akashvani not below the rank of Deputy Director General– Memt 4 Deputy Director Genera (Administration), Directorate General : Akashvani - Member

K. S. SARMA, Executive Member

[ADVT III/IV/Exty./163/02]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054